प्र0क0 / /

प्रस्तुती दिनांक / /

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प

इन्दौर म0प्र0 के समक्ष

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री ...... अभिभाषक द्वारा दिनांक ...... को प्रस्तुत।
1583/26.10.2015
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

1. श्रीराम मंदिर, मूर्ति चारभुजा विष्णु भगवान मालिक एवं पूजारी गोवर्धनदास पिता रामदास बैरागी निवासी कलसाडाबुजुर्ग तहसील व जिला धार म0प्र0

2. महंत एवं स्वामी गोवर्धनदास पिता रामदास बैरागी आयु 85 वर्ष, धंधा खेती निवसी ग्राम कलसाडाबुजुर्ग तहसील व जिला धार म0प्र0..........................अपीलांट,

विरूद्ध

1. बद्रीदास पिता कन्हैयादास बैरागी
2. हरिदास पिता कन्हैयादास बैरागी
3. घनश्यामदास पिता कन्हैयादास बैरागी
4. सीतारामदास पिता कन्हैयादास बैरागी
5. अर्जुनदास पिता कन्हैयादास बैरागी
6. ईश्वरदास पिता कन्हैयादास बैरागी
7. पूरणदास पिता कन्हैयादास बैरागी
8. गोकुलदास पिता कन्हैयादास बैरागी

सभी निवसीयान ग्राम कलसाडाबुजुर्ग तहसील व जिला धार म0प्र0..................................रेस्पांडेन्टगण,

अपील अंतर्गत धारा 44(1) म0प्र0 भू0रा0सं0

.........................2

माान्यवर महोदय,

सेवा में अपीलांट माननीय अपर आयुक्त इन्दौर के प्रकरण क0 475/अपील/2010-11 निर्णय दिनांक 08/09/2015 से दुखी व असंतुष्ट होकर निम्न के अतिरिक्त कारणो पर अपील प्रस्तुत करता है -

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक अपील 3807–पीबीआर/15 जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16–12–2015	अपीलार्थी की ओर से श्री जेड अली, अभिभाषक उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता पर सुना गया एवं अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 8–9–15 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथम दृष्टया विधिसंगत है कि प्रश्नाधीन भूमि श्रीराम मंदिर के भूमिस्वामी स्वत्व की है, और राजस्व अभिलेखों में मंदिर की मूर्ति के स्वामित्व संबंधी प्रश्नाधीन भूमि पर इन्द्राज होगा, क्योंकि म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) के लागू होने के दिनांक से देवस्थान की मूर्ति ऐसी भूमियों की भूमिस्वामी हो गई हैं । संहिता में मंदिर की भूमि पर किसी व्यक्ति विशेष का कब्जा अंकित करने का कोई प्रावधान नहीं है, और न ही शासकीय मंदिर की भूमि पर पुजारी को आधिपत्य दर्शाने का कोई अधिकार प्राप्त है । अतः उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त द्वारा अपील निरस्त करने में प्रथम दृष्टया विधिसंगत कार्यवाही की गई है । फलस्वरूप यह अपील आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	